समाहरणालय, सहरसा
(जिला राजस्व शाखा)
–: आदेश :–

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 590/रा०, दिनांक 08.09.2014 के आलोक में **''ऑपरेशन भूमि दखल''** के तहत् ''विभिन्न स्रोतों यथा सिलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अधिशेष घोषित भूमि, भूदान के अन्तर्गत प्राप्त भूमि, गैरमजरूआ मालिक एवं गैरमजरूआ आम भूमि सुयोग्य श्रेणी के परिवारों/व्यक्तियों को आवंटित कर उन्हें उक्त भूमि का पर्चा जिला स्तर से निर्गत किया गया था, किन्तु उक्त भूमि से पर्चाधारी बेदखल हैं'', वैसे पर्चाधारियों को आवंटित भूमि पर पुलिस बल के सहयोग से दखल दिलवाया जाना है।

इस क्रम में दिनांक 01.02.2015 को अंचल–नवहट्टा के पंचायत–हाटी, मौजा–बरियाही में बेदखल पर्चाधारियों को आवंटित भूमि पर दखल दिलवाया जाना है।

अतः अंचलाधिकारी, नवहट्टा को आदेश दिया जाता है कि स्थानीय थानाध्यक्ष से सम्पर्क कर इस कार्य हेतु आवश्यक पुलिस बल प्राप्त करेंगे तथा बेदखल पर्चाधारियों को आवंटित भूमि का अंचल अमीन से सीमांकन करवाकर दखल दिलवाना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

29.1.15

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक ....112-2....../रा०, सहरसा, दिनांक ....31.... जनवरी, 2015।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, नवहट्टा को सूचनार्थ एवं अनिवार्य रूप से अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अंचल अधिकारी, सहरसा जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने स्तर से संबंधित थानाध्यक्ष को अपेक्षित आवश्यक सहयोग हेतु निदेशित करेंगे।

29.1.15

समाहर्त्ता,
सहरसा।